



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या: 323 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 22 मार्च, 2024

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए मात्र आयोग द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र०	अनुक्रमांक	कार्यालय टीप
(1)	(2)	(3)
1	508776	अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
2	508791	अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
3	508930	अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
4	508942	अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
5	509039	अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
6	509099	अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के

		संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनहृ किया गया है।
7	509209	अनहृ सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनहृता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनहृता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनहृ किया गया है।
8	509268	अनहृ सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनहृता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनहृता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनहृ किया गया है।
9	509343	अनहृ सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनहृता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनहृता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनहृ किया गया है।
10	509445	अनहृ सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनहृता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनहृता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनहृ किया गया है।
11	509486	अनहृ सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनहृता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनहृता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनहृ किया गया है।

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।